रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2008/चैत्र 18, 1930
No. 458] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2008/CHAITRA 18, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2008

का.आ. 823(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना, द्वितीय संशोधन, आदेश, 2008 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना, आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय प्रदाय, वितरण या भंडारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल के लिए इस आदेश के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक जो भी पूर्वतर हो, प्रास्थगन में रखा जाएगा।

3. इस आदेश की कोई बात खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 को अन्य सभी उपबंध अपर खण्ड 2 में वर्णित अवधि के दौरान भी प्रदर्शन में बने रहेंगे।

[फा. सं. 10/1/2008-ई सी आर एंड ई]

अलका सिरोही, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007 और सं. का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2008

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement, Restrictions) on Specified Foodstuffs Second Amendment Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The words and expessions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds and rice for a period of one year from the date of issue of this Order or further order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2.

[F. No. 10/1/2008-ECR&E]

ALKA SIROHI, Spl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, number S.O. 1373(E), dated the 29th August, 2006, number S.O. 297(E), dated the 27th February, 2007, number S.O. 1488(E), dated 31st August, 2007 and number S.O. 400(E), dated the 28th February, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.